न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 196/2025 बउनवानी श्रीमति उषा जैमिनी बनाम कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर
पुत्र रामावतार शर्मा निवासी अरिहंत कॉलोनी सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/378

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
31.12.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 22.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" **पेशंन ऐरियर एवं फैमिली पेंशन एरियर अन्तर राशिश दिनांक 1.7.2014 से 7.1.2023 तक पेशन एरियर एवं 8.1.2023 से अबतक फैमिली पेंशन अन्तर राशि, पेशन एरियर एवं ग्रेज्यूटी की राशि खाते मे जमा का स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति।"** कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/कोष/पेंशन/2025/519 दिनांक 30.12.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.7.2025 के बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 518 दिनांक 30.12.2025 जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदक को प्रेषित कर दी गयी है तथा बिन्दु संख्या 1,4,5 की सूचना के संबंध में आवेदक से पारिवारिक पेंशनर की बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं आधारकार्ड की प्रति चाही गयी थी जो अपीलान्ट द्वारा उपलब्ध नही करवायी जाने के कारण उक्त बिन्दुओं की सूचना अभी तक अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 22.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना अपलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दुओ की सूचना के लिए अपीलान्ट बैंक पासबुक व आधारकार्ड की प्रति कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को प्रेषित कर प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर